

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषानुसार प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-II) की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिक्ति के प्रति चयन का निर्णय राजस्थान असेनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के सीसीए-17ई के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण बन्द लिफाफे में रखा गया था।

निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में विभागीय जांच अनुभाग द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक शिविरा-माध्य/ विजांच/ प्र0अ0-प्रधानाचार्य/ 11400-11410/18-19 दिनांक 19.08.21 के द्वारा इनके विरुद्ध कोई जांच कार्यवाही बकाया नहीं होने की सूचना के आधार पर इनका बंद लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने कॉलम 8 में अंकित रिक्ति तिथि के प्रति प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष (ग्रुप-डी-II) पद पर इनका चयन किया जाता है :-

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	वर्ग	डीपीसी वर्ष/शिड्यूल/चयन वर्ग	चयन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	717	2009-10	नन्द पाल बैरवा, प्र.अ.	01-07-1964	एससी	2020-21 I/III एससी	01-04-2020

पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/प्रधानाचार्य/2020-21/21

दिनांक : 19/08/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, करौली।
7. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, करौली।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/विजांच/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. संबंधित कार्मिक श्री नन्द पाल बैरवा, रामावि, ल्हावद, नादौती करौली
10. प्रभाग प्रभारी -बी-2, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक को पदस्थापन-परामर्श शिविर में शामिल होने हेतु सूचित कर पदस्थापन संबंधी कार्यवाही करने का श्रम करें।
11. रक्षित पत्रावती

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर